न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 200/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरूराम जाति-जाट, निवासी-खारचिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. भंवरूराम गोद बाला 2. केशाराम पुत्र भंवरूराम 3. कमला पत्नी भंवरूराम 4. शांतिदेवी पुत्री भंवरूराम 5. लीलादेवी पुत्री भंवरूराम 6. पप्पुदेवी पुत्री भंवरूराम जातियान-जाट, निवासीगण- खारचिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) 7. तहसीलदार, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) 8. पटवारी पटवार हल्का-कावलियां खुर्द,तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 — तारीख रजू:.24/07/2018

उपस्थितः. 1. श्री, कैलाशराम कलवाणियां अधिवक्ता, वादी।
2. श्री महेन्द्र जाजड़ा, अधिवक्ता प्रति0।

-:: निर्णय ::- — **दिनॉकः- 13/08/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 हिन्दु है तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते है तथा आपस में सगे पिता-पुत्र, माता-पुत्र, भाई-बहिन एवं भाई-भाई है। जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है-

भंवरूराम
- ओमप्रकाश (पुत्र)
- केशाराम (पुत्र)
- शांतिदेवी (पुत्री)
- लीलादेवी (पुत्री)
- पप्पुदेवी (पुत्री)
- कमलादेवी (पत्नी)

राजस्व मौजा खारचिया में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा, खसरा नम्बर 372 रकबा 0-04 बीघा एवं खसरा नम्बर 433 रकबा 15-01 बीघा कुल रकबा 59-09 बीघा वादी के पिता बाला से उत्तराधिकार में प्राप्त पैतृक सह खातेदारी की भूमि आई हुई है जो स्व. बाला जी से प्राप्त सम्पत्ति होने से वादी व प्रतिवादीगण का इस आराजी पर जन्म से अधिकार है। उपरोक्त वर्णित आराजी को आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। जबकि उक्त मुतनाजा आराजी का पारिवारिक बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादीगण के बीच किया हुआ है व माफिक बंट के अलग-अलग धोरे व पालिया दी हुई है व अपने अपने बंट पर पक्षकारान काश्त व काबिज चले आ रहे है व माफिक बंट के पक्षकारान काश्त व काबिज चले आ रहे है परन्तु खातेदारी में नाम माफिक बंट के नहीं होने से पक्षकारान को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है व न ही सरकारी योजनाओं का सही तरह से लाभ प्राप्त हो रहा है। मुतनाजा आराजी पैतृक भूमि होने से इसमें वादी व प्रतिवादीगण का बराबर बराबर हक हकूक व अधिकार बनता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने मुतनाजा आराजी के बंटवाड़ा कर लिया है व माफिक बंटवाड़ा के वादी व प्रतिवादीगण काश्त व काबिज चले आ रहे है व सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर लगातार काश्त व काबिज चले आ रहे है। मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर माफिक बंटवाड़ा के नहीं होने से वादी

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने बंट पर काबिज चले आ रहे है परन्तु कानूनी रूप से बंटवाड़ा नहीं होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी यह घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रहा है। मुतनाजा आराजी का बंटवाड़ा पक्षकारान ने पारिवारिक बंटवाड़ा जब वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 अलग अलग हुए तब कर लिया है जो निम्न प्रकार है- <u>वादी ओमप्रकाश का बंट</u> :- मौजा खारचिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा मेसे रकबा 7-00 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा मेसे रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा मेसे रकबा 2-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 433 रकबा 15-01 बीघा मेसे 7-11 बीघा माफिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है। <u>प्रतिवादी संख्या 1 भंवरूराम का बंट</u> :- मौजा खारचिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा मेसे रकबा 7-07 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा मेसे रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा मेसे रकबा 2-09 बीघा माफिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है। <u>प्रतिवादी संख्या 2 केशाराम का बंट</u> :- मौजा खारचिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा मेसे रकबा 7-00 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा मेसे रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा मेसे रकबा 2-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 433 रकबा 15-01 बीघा मेसे 7-10 बीघा माफिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है। <u>प्रतिवादी संख्या 3 कमलादेवी का बंट</u> :- मौजा खारचिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा मेसे रकबा 7-07 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा मेसे रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा मेसे रकबा 2-09 बीघा माफिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 ने अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 के हक में त्याग कर दिया है। इसलिए इनके कोई बंट नहीं रखा गया है। माफिक बंट के अलग खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जाकर सेपरेट खातेदारी पजेशन कायम करवाया जावे। संलग्न नजरी नक्शा इस वाद का एक भाग है। उपरोक्त बताये माफिक पक्षकारान अपने अपने बंट की भूमि पर काश्त व काबिज है तथा मौके पर अलग-अलग सीवें माठें कायम कर ली है। वादी व प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में माफिक बंट के नहीं होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उपर लिखित बंट के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम से अलग अलग बंट कर दिया जावें। उक्त आराजी के अलावा जो भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पास थी जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में बंट कर लिया है। इसलिए इस बंटवाड़ा में वादी व प्रतिवादीगण के बीच में कम ज्यादा भूमि बंट आई हुई है। परन्तु कुल जमीन में वादी व प्रतिवादीगण के बराबर बराबर बंट है। उपरोक्त खसरान का बंटवाड़ा जुबानी रूप से पक्षकारान ने कर लिया है। मगर कानूनी रूप से बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं हुआ है। जिससे अभी तक माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज नही हुआ है। जिससे वादी वादग्रस्त खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने हेतु यह बंटवाड़ा का वाद पेश कर रहा है। मुतनाजा आराजी पर कब्जा वादी व प्रतिवादीगण बताये अनुसार है मगर खातेदारी में नाम माफिक बंट के नाम दर्ज नहीं होने से वादी यह घोषणा करवाने के अधिकारी है कि ग्राम खारचिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा, खसरा नम्बर 372 रकबा 0-04 बीघा एवं खसरा नम्बर 433 रकबा 15-01 बीघा कुल रकबा 59-09 बीघा वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की आराजी है। वादी व प्रतिवादीगण के नाम से माफिक बंट के खातेदारी मे दर्ज नहीं है व वादी व प्रतिवादीगण माफिक बंट के काश्त व काबिज है। उक्त सम्पूर्ण भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में बंटवाड़ा कर लिया है परन्तु फिकरा नम्बर 6 में बताई अनुसार बंट की भूमि में खातेदारी में नाम माफिक बंट के नहीं होने से यह वाद वादी पेश कर रहा है। मुतनाजा खसरान की खातेदारी में वादी का नाम माफिक बंट के नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं की जा सकेगी व वादी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। प्रतिवादीगण संख्या 7 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

होने से आवयश्यक पक्षकारा है इसलिए इनको पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 प्रतिवादीगण संख्या 7 के अधीनस्थ होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा कुछ दिनों पूर्व जब वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त खसरा की भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये तथा वादी के अधिकारों को चुनौती दी तब बमुकाम ग्राम खारचिया तहसील जैतारण अंदर हदूद अदालत वाला पैदा हुआ।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील महेन्द्र जाजड़ा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता मय वादी एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया। राजीनामा में व्यक्त किया कि उपरोक्त अनवान के वाद में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के बीच में लोक अदालत की भावना व लोगों की समझाईश से राजीनामा कर लिया है। इसलिए वाद की इस्तदुआ के अनुसार वाद को डिक्री कर दिया जावे। जिसमें हम सभी पक्षकारान की सहमति है। प्रतिवादीगण संख्या 04 से 06 ने अपना कोई बंट इस आराजी में नहीं रखा है। अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 के हक में त्याग कर दिया है। इसलिए वाद को वाद में बताये बंटवाई के अनुसार बंटवाड़ा कायम कर अलग-अलग खातेदारी दर्ज की जावे। राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिशल किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने न्यायिक दृष्टान्त सिविल अपील नंबर 7217 OF 2013 प्रस्तुत किया।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय एवं न्यायिक दृष्टान्त पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर अपने-अपने हिस्से अनुसार अर्थात् उक्त आराजी पर काबिज अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर अपने-अपने बंट व वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार खाता व लगान अलग-अलग किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की है। लिहाजा माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

-::आदेश::-

अतः माफिक राजीनामा मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा खारचिया में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा, खसरा नम्बर 372 रकबा 0-04 बीघा एवं खसरा नम्बर 433 रकबा 15-01 बीघा कुल रकबा 59-09 बीघा में वादी ओमप्रकाश को :- मौजा खारचिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा मेसे रकबा 7-00 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा मेसे रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा मेसे रकबा 2-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 433 रकबा 15-01 बीघा मेसे 7-11 बीघा का, प्रतिवादी संख्या 1 भंवरूराम को :- मौजा खारचिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा मेसे रकबा 7-07 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा मेसे रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा मेसे रकबा 2-09 बीघा का, प्रतिवादी संख्या 2 केशाराम को :- मौजा खारचिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा मेसे रकबा 7-00 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा मेसे रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा मेसे रकबा 2-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 433 रकबा 15-01 बीघा मेसे 7-10 बीघा का, प्रतिवादी संख्या 3 कमलादेवी को:- मौजा खारचिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 99 रकबा 28-14 बीघा मेसे रकबा 7-07 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 6-12 बीघा मेसे रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 369 रकबा 8-18 बीघा मेसे रकबा 2-09 बीघा का माफिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। माफिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 04 से 06 ने अपना कोई बंट इस आराजी में नहीं रखा है। अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 के हक में त्याग कर दिया है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

किया जावे। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं नजरी नक्शा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल [illegible])
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 13/08/2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल [illegible])
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner